अनुदान संख्या 60 – श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 60–MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	*. .*	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	2368,36,00	2634,36,00	2536,45,53	–97,90,47
पूरक	Supplementary	266,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				58,27,27
पूंजीगत:	**Capital:**				
मूल	Original	129,65,00	757,15,00	755,69,94	–1,45,06
पूरक	Supplementary	627,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				56,40

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम तथा रोजगार'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9790.47 लाख रु.) अक्तूबर, 2008, दिसम्बर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 26600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 37 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2230" – "Labour and Employment" .

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9790.47 lakhs) constituted 37 percent of the supplementary grants of Rs.26600.00 lakhs obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services					
मू.	O.	2250.00				
पू.	S.	488.00		2388.60	2304.57	–84.03
पु.	R.	– 349.40				
मुख्य शीर्ष "2225" अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Major Head "2225" Welfare of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes					
मू.	O.	427.00				
पू.	S.	109.00		574.25	426.18	–148.07
पु.	R.	38.25				
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम तथा रोजगार	Major Head "2230" Labour and Employment					
मू.	O.	195122.00				
पू.	S.	20989.00		230048.88	226339.69	–3709.19
पु.	R.	13937.88				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	6501.00				
पू.	S.	12.00		0.59	. .	–0.59
पु.	R.	–6512.41				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	32360.00				
पू.	S.	5001.00		24320.41	24319.17	–1.24
पु.	R.	–13040.59				

(I) 26615.00 लाख रु. का प्रावधान (3.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 26260.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''श्रम - शिक्षा - केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अनुदान'' - 150.00 लाख रु.;

(ख) ''रोजगार सेवाएं - अनुसंधान सर्वेक्षण और सांख्यिकी - शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता'' - 39.00 लाख रु. (9.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित);

(ग) ''प्रशिक्षण - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें'' - 1471.00 लाख रु.; और

(घ) ''श्रमिक - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा'' - 4600.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र श्रमिक स्कीम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/स्वास्थ्य बीमा'' - 20000.00 लाख रु. स्कीम की निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2230'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs.26615.50 lakhs (including supplementary grant of Rs.3.00 lakhs) remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.26260.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Labour – Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – Rs.150.00 lakhs;

(b) "Employment Services – Research Surveys and Statistics – Assistance to Physically Handicapped" – Rs.39.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.9.00 lakhs);

(c) "Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – Rs.1471.00 lakhs; and

(d) "Labour – Social Security for Labour – Rashtriya Swasthya Bima Yojana/Health Insurance for Unorganised Sector Workers" – Rs.4600.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Labour – Social Security for Labour – Rashtriya Swasthya Bima Yojana/Health Insurance for Unorganised sector workers" – Rs.20000.00 lakhs – due to change in funding pattern under the scheme.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2230" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) ''श्रमिक'' -

(क) ''औद्योगिक संबंध'' -

(i) ''अन्य मदें'' - 407.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 84.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 491.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 154.24 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावे/बिल कम प्राप्त होने और कम सरकारी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''श्रमिक अधिकरण, न्यायिक जांच और समाधान बोर्ड'' - 273.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 59.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 332.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 84.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, सरकारी दौरे कम किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा'' -

(i) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - 1020.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1050.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 380.07 लाख रु. की बचत कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने और निधियों का पुनर्विनियोग नए खोले गए वस्तुनिष्ठ शीर्ष ''लघु निर्माण कार्य'' को किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''परीक्षाएं'' - 81.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 106.55 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 25.57

(A) "Labour" –

(a) "Industrial Relations" –

(i) "Other Items" – the original provision of Rs.407.00 lakhs was augmented to Rs.491.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.84.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.154.24 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims/bills and less official tours undertaken.

(ii) "Labour Tribunals, Courts of Enquiry and Conciliation Boards" - the original provision of Rs.273.00 lakhs was augmented to Rs.332.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.59.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.84.35 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession and medical claims, less officials tours and economy measures.

(b) "Working Conditions and Safety" -

(i) "Plan Schemes of Directorate General of Factory Advice Services (DGFASLI)" – the original provision of Rs.1020.00 lakhs was augmented to Rs.1050.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.380.07 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less medical claims and re-appropriation of funds to the newly opened object head "Minor Works" and non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

(ii) "Examinations" - the original provision of Rs.81.55 lakhs was augmented to Rs.106.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs.

लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छुट्टी यात्रा रियायत के कम संख्या में दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण'' - 921.60 लाख रु. के मूल प्रावधान को 160.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1081.60 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 221.25 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि'' -

(i) ''प्रशासन'' - 179.37 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 217.57 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 60.69 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ii) ''स्वास्थ्य'' - 644.66 लाख रु. के मूल प्रावधान को 149.57 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 794.23 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 177.53 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित), रिक्त पदों के भरे न जाने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(iii) ''शिक्षा'' - 342.81 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.34 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 367.15 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 116.24

However, there was a saving of Rs.25.57 lakhs (including supplementary grant) – due to receipt of less number of leave travel concession claims and economy measures.

(iii) "Research and Training" - the original provision of Rs.921.60 lakhs was augmented to Rs.1081.60 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.160.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.221.25 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of leave travel concession claims and economy measures.

(c) "Iron Ore Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund" -

(i) "Administration" – the original provision of Rs.179.37 lakhs was augmented to Rs.217.57 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.60.69 lakhs (including supplementary grant) – due to late receipt of estimates from Central Public Works Department and economy measures.

(ii) "Health" – the original provision of Rs.644.66 lakhs was augmented to Rs.794.23 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.149.57 lakhs. However, there was a saving of Rs.177.53 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, late receipt of estimates from Central Public Works Department and economy measures.

(iii) "Education" – the original provision of Rs.342.81 lakhs was augmented to Rs.367.15 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.34 lakhs.

लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) छुट्टी यात्रा रियायत के दावे कम प्राप्त होने, छात्रवृत्ति के लिए आवेदकों के कम संख्या में योग्य पाए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

However, there was a saving of Rs.116.24 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less leave travel concession claims, less number of applicants found eligible for scholarship, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(घ) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य'' - 668.13 लाख रु. के मूल प्रावधान को 77.95 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 746.08 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 257.96 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और अभिकरणों द्वारा बिलों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(d) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund – Health" – the original provision of Rs.668.13 lakhs was augmented to Rs.746.08 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.77.95 lakhs. However, there was a saving of Rs.257.96 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-submission of bills by agencies.

(ङ) ''सिने कामगार श्रमिक कल्याण निधि - स्वास्थ्य'' - 89.95 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 107.95 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 23.85 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) चिकित्सा दावे कम संख्या में प्राप्त होने, अभिकरणों द्वारा बिलों के प्रस्तुत न किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(e) "Cine Workers Labour Welfare Fund – Health" – the original provision of Rs.89.95 lakhs was augmented to Rs.107.95 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.23.85 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less number of medical claims, non-submission of bills by agencies and economy measures.

(खा) ''प्रशिक्षण'' -

(B) "Training" -

(क) ''शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - शिल्पकारों का प्रशिक्षण'' - 79.99 लाख रु. के मूल प्रावधान को 8.43 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 88.42 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 23.12 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) किफायती उपायों के कारण हुई।

(a) "Training of Craftsman and Supervisors – Training of Craftsman" – the original provision of Rs.79.99 lakhs was augmented to Rs.88.42 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.8.43 lakhs. However, there was a saving of Rs.23.12 lakhs (including supplementary grant) - due to economy measures.

(ख) ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन'' - 149.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15.00 लाख रु. का पूरक अनुदान

(b) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Upgradation of 1396 Govt. I.T.Is through Public Private Partnership" - the original provision of Rs.149.00 lakhs was augmented to Rs.164.00 lakhs by obtaining

प्राप्त करके बढ़ाकर 164.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 37.43 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम सरकारी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय - एटीआई में एनसी/सीएनसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तकनीकी सहायता'' - 41.07 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9.69 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 50.76 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 16.64 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(का) मुख्य शीर्ष "2251'' - "सचिवालय - श्रम मंत्रालय'' - 2250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 488.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2738.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, डाटा एंट्री आपरेटरों की बाहरी स्त्रोतों के माध्यम से व्यवस्था किए जाने का कार्य देर से शुरू होने, कम सरकारी दौरे किए जाने, प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कारों के आयोजित न किए जाने और किफायती उपायों के कारण 433.43 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2225'' - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - पूर्व-व्यवसायिक प्रशिक्षण'' - 403.18 लाख रु. के मूल प्रावधान को 106.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 509.68 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण 103.85 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2230'' -

supplementary grant of Rs.15.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.37.43 lakhs (including supplementary grant) – due to less official tours undertaken and economy measures.

(c) "Other Expenditure – UNDP Technical Assistance for Establishing NC/CNC facilities at ATIs" - the original provision of Rs.41.07 lakhs was augmented to Rs.50.76 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9.69 lakhs. However, there was a saving of Rs.16.64 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims and economy measures.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Ministry of Labour" – the original provision of Rs.2250.00 lakhs was augmented to Rs.2738.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.488.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.433.43 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, late starting of outsourcing work of data entry operators, less official tours, non-holding of Prime Minister's Shram Awards and economy measures.

(B) Major Head "2225" – "General – Direction and Administration - Pre-Vocational Training" – the original provision of Rs.403.18 lakhs was augmented to Rs.509.68 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.106.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.103.85 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(C) Major Head "2230" –

(क) "श्रम" -

(i) "अनुसंधान और सांख्यिकी" -

(1) "श्रम ब्यूरो" - 665.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 325.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 990.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण 181.38 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) "अनुसंधान और सांख्यिकी के अंतर्गत योजना स्कीमें" - 665.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 152.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 817.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 28.53 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "औद्योगिक संबंध" -

(1) "मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त" - 2441.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4441.00 लाख रु. कर दिया गया जो, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे, विधिक/व्यावसायिक बिलों के कम प्राप्त होने, अध्ययन की व्यवस्था करने के लिए अभिकरणों/व्यावसायिकों को कम संख्या में किराए पर लिए जाने और किफायती उपायों के कारण 1677.72 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) "मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का सुदृढ़ीकरण" - 430.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 105.00 लाख रु. का पूरक

(a) "Labour" –

(i) "Research and Statistics" –

(1) "Labour Bureau" – the original provision of Rs.665.00 lakhs was augmented to Rs.990.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.325.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.181.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(2) "Plan Schemes under Research and Statistics" - the original provision of Rs.665.00 lakhs was augmented to Rs.817.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.152.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.28.53 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of purchase proposals.

(ii) "Industrial Relations" –

(1) "Chief Labour Commissioners (Central) and Regional Labour Commissioners" – the original provision of Rs.2441.00 lakhs was augmented to Rs.4441.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1677.72 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of leave travel concession claims, legal/professional bills, hiring of less number of agencies/professional to conduct studies and economy measures.

(2) "Strengthening of Chief Labour Commissioner (Central) and Regional Labour Commissioners" – the original provision of Rs.430.00 lakhs was

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 535.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने के कारण 31.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''कार्य की स्थितियां और सुरक्षा'' -

(1) ''खान सुरक्षा महानिदेशालय की योजना स्कीमें'' - 440.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 27.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बध्कर 467.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, कम सरकारी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 17.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) ''खान सुरक्षा महानिदेशक (मुख्य)'' - 2083.45 लाख रु. के मूल प्रावधान को 900.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2983.45 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पदों का सृजन न किए जाने/रिक्त पदों को भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने, कम सरकारी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 297.78 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(3) ''कारखाना परामर्श सेवा महानिदेशक और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय (मुख्य)'' - 402.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 115.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 517.40 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण 101.91 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iv) ''अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि'' -

augmented to Rs.535.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.105.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.31.24 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less leave travel concession claims.

(iii) "Working Conditions and Safety" -

(1) "Plan Schemes of the Directorate General of Mines Safety (D.G.M.S.)" – the original provision of Rs.440.00 lakhs was augmented to Rs.467.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.27.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.17.66 lakhs - due to less official tours undertaken and economy measures.

(2) "Director General of Mines Safety (Main)" – the original provision of Rs.2083.45 lakhs was augmented to Rs.2983.45 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.900.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.297.78 lakhs - due to non-creation/non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, less official tours and economy measures.

(3) "Director General of Factory Advice Service and Inspectorates of Dock Safety (Main)" – the original provision of Rs.402.40 lakhs was augmented to Rs.517.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.115.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.101.91 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(iv) "Mica Mines Labour Welfare Fund" -

(1) ''स्वास्थ्य'' - 79.86 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19.77 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 99.63 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 13.27 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(2) ''शिक्षा'' - 47.94 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21.68 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 69.62 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 11.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण हुईं।

(v) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि - प्रशासन'' - 206.34 लाख रु. के मूल प्रावधान को 45.27 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 251.61 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, डाटा एंट्री आपरेटर का कार्य बाहरी स्त्रोतों के माध्यम से देर से शुरू किए जाने, कम सरकारी दौरे किए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने, कार्यालय मदों की अधिप्राप्ति के मूर्त रूप न लेने, रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपायों के कारण 35.66 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(vi) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि'' -

(1) ''स्वास्थ्य'' - 4540.37 लाख रु. के मूल प्रावधान को 889.37 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5429.74 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, कार्यालय की मदों की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने, झाल्दा (पश्चिम बंगाल) में 15 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए निधियों का कम उपयोग किए जाने और किफायती उपायों के कारण 515.13 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा

(1) "Health" – the original provision of Rs.79.86 lakhs was augmented to Rs.99.63 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.77 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.13.27 lakhs; and

(2) "Education" – the original provision of Rs.47.94 lakhs was augmented to Rs.69.62 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21.68 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.34 lakhs.

Savings under the above two heads were due to receipt of less leave travel concession claims and economy measures.

(v) "Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund - Administration" – the original provision of Rs.206.34 lakhs was augmented to Rs.251.61 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.45.27 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.35.66 lakhs – due to late starting of outsourcing work of data entry operator, less official tours, delay in late receipt of estimates from Central Public Works Department, non-materialisation of procurement of office items, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(vi) "Beedi Workers Welfare Fund" -

(1) "Health" – the original provision of Rs.4540.37 lakhs was augmented to Rs.5429.74 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.889.37 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.515.13 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, non-materialisation of proposals for procurement of office items, less utilisation of funds towards construction of 15 Bedded hospital at Jhalda (West Bengal) and economy measures.

(2) ''प्रशासन'' - 487.58 लाख रु. के मूल प्रावधान को 140.58 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बध़कर 628.16 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और स्वीकृति जारी न किए जाने तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने के कारण 66.04 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा

(ख) ''रोजगार'' -

(i) ''निदेशन और प्रशासन - रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय'' - 1318.99 लाख रु. के मूल प्रावधान को 286.15 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1605.14 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने, रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे कम प्राप्त होने, अधिकारियों द्वारा कम विदेशी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 206.17 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा

(ii) ''अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी'' -

(1) ''शारीरिक रूप से विकलांगों को सहायता'' - 1078.93 लाख रु. के मूल प्रावधान को 626.59 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1705.52 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे कम प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण 339.22 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) ''अनुसंधान'' - 152.59 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.06 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 182.65 लाख रु. कर दिया

(2) "Administration" – the original provision of Rs.487.58 lakhs was augmented to Rs.628.16 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.140.58 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.66.04 lakhs - due to late approval and non-issuance of sanction and late receipt of estimates from Central Public Works Department.

(b) "Employment" –

(i) "Direction and Administration – Directorate General of Employment and Training" – the original provision of Rs.1318.99 lakhs was augmented to Rs.1605.14 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.286.15 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.206.17 lakhs - due to late receipt of estimates from Central Public Works Department, non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, less foreign tours undertaken by officers and economy measures.

(ii) "Research, Surveys and Statistics" –

(1) "Assistance to Physically Handicapped" – the original provision of Rs.1078.93 lakhs was augmented to Rs.1705.52 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.626.59 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.339.22 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims and economy measures.

(2) "Research" - the original provision of Rs.152.59 lakhs was augmented to Rs.182.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.06 lakhs

गया जो, तथापि, किफायती उपायों के कारण 22.80 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''प्रशिक्षण'' -

(i) ''शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' -

(1) ''शिल्प अनुदेशकों का प्रशिक्षण'' - 2041.03 लाख रु. के मूल प्रावधान को 373.85 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2414.88 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे, चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने, व्यावसायिकों के कम संख्या में किराए पर लिए जाने और किफायती उपायों के कारण 320.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(2) ''अति कुशल शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण'' - 776.87 लाख रु. के मूल प्रावधान को 214.48 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 991.35 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त न होने की वजह से फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य बंद कर दिए जाने और किफायती उपायों के कारण 211.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(3) ''महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 1880.13 लाख रु. के मूल प्रावधान को 406.83 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2286.96 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, मशीनरी और उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कम सरकारी दौरे किए जाने और किफायती उपायों के कारण 323.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

which, however, remained unutilised to the extent of Rs.22.80 lakhs – due to economy measures.

(c) "Training" -

(i) "Training of Craftsmen and Supervisors" –

(1) "Training of Crafts Instructors" – the original provision of Rs.2041.03 lakhs was augmented to Rs.2414.88 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.373.85 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.320.90 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, medical bills, hiring of less number of professionals and economy measures.

(2) "Training of Highly Skilled Craftsmen and Supervisors" – the original provision of Rs.776.87 lakhs was augmented to Rs.991.35 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.214.48 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.211.42 lakhs - due to stopping of construction works of Foreman Training Institute, Jamshedpur owing to non-receipt of clearance from Ministry of Environment and Forests an481d economy measures.

(3) "Vocational Training Programme for Women" – the original provision of Rs.1880.13 lakhs was augmented to Rs.2286.96 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.406.83 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.323.61 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, less procurement of machinery and equipment, less official tours undertaken and economy measures.

(ii) ''अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - कोलकाता स्थित केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 199.11 लाख रु. के मूल प्रावधान को 46.23 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 245.34 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा बिलों के कम प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण 14.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना'' - 216.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 241.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने/स्वीकृति जारी न किए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने निर्माण विभाग से अनुमानों के देर से प्राप्त होने के कारण 12.47 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(iv) ''प्रशिक्षु प्रशिक्षण - क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय'' - 299.80 लाख रु. के मूल प्रावधान को 87.49 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 387.29 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण 69.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2230'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''श्रम'' -

(क) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि - शिक्षा'' - 170.38 लाख रु. की बचत (10659.85 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए कम बच्चों के योग्य पाए जाने के कारण हुई।

(ii) "Research, Surveys and Statistics – Central Staff Training and Research Institute (C.S.T.R.I.) at Kolkata" - the original provision of Rs.199.11 lakhs was augmented to Rs.245.34 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.46.23 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.61 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical bills and economy measures.

(iii) "Industrial Training Institutes (I.T.I.) – Model Industrial Training Institutes/setting up of 4 Model Industrial Training Institutes (M.I.T.I.s)" - the original provision of Rs.216.00 lakhs was augmented to Rs.241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.12.47 lakhs – due to late approval/non-issuance of sanction and late receipt of estimates from Central Public Works Department.

(iv) "Apprenticeship Training – Regional Directorates of Apprenticeship Training" - the original provision of Rs.299.80 lakhs was augmented to Rs.387.29 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.87.49 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.69.16 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Labour" –

(a) "Beedi Workers Welfare Fund - Education" – saving of Rs.170.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10659.85 lakhs) was due to less children found eligible for scholarship under the scheme.

(ख) ''संशोधित एकीकृत आवास स्कीम, 2005'' - 930.18 लाख रु. की बचत (7700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित अभिकरणों से पूर्ण प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(ग) ''आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण'' -

(i) ''बीड़ी कामगार कल्याण निधि को अंतरण'' - 2926.57 लाख रु. की बचत (23000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(ii) ''अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि को अंतरण'' - 248.90 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपकर का कम संग्रहण किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''प्रशिक्षण - अन्य व्यय'' -

(क) ''केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावासायिक प्रशिक्षण सेवाओं के सुधार और उन्हें बेहतर बनाने संबंधी बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना'' - 646.67 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम सरकारी दौर किए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शीर्ष उच्च-तकनीकी संस्थान, बंगलौर के भवन का निर्माण न किए जाने और प्रबंधन सूचना प्रणाली परामर्शदाताओं को नियुक्त न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''रोजगार कार्यालयों के उन्नयन और आधुनिकीकरण संबंधी कौशल विकास/मिशन मोड परियोजना'' - 410.06 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के पूरी तरह से चालू न होने के कारण हुई।

(b) “Revised Integrated Housing Scheme, 2005” – saving of Rs.930.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7700.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals from the concerned agencies and economy measures.

(c) “Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts” -

(i) “Transfer to Beedi Workers Welfare Fund” – saving of Rs.2926.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23000.00 lakhs); and

(ii) “Transfer to Mica Mines Labour Welfare Fund” – saving of Rs.248.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less collection of cess.

(B) “Training - Other Expenditure” -

(a) “Externally Aided Project for Reforms & Improvement in Vocational Training services rendered by Central & State Governments” – saving of Rs.646.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to less official tours undertaken, non-construction of building of Apex Hi-Tech Institute, Bangalore by Central Public Works Department and non-engagement of Management Information System consultants.

(b) “Skill Development/Mission Mode Project for upgradation and modernisation of Employment Exchange” – saving of Rs.410.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to scheme not being fully functioned.

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 314.69 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं।

(V) Under four heads savings of Rs.314.69 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 33 percent to 80 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (18835.41 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 14865.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (Rs.18835.41 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.14865.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2230" -

(क) "श्रम" -

(i) "श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995" - 6588.00 लाख रु.।

(ii) "श्रमिक शिक्षा - केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान"- 450.00 लाख रु.।

(ख) "प्रशिक्षण - अन्य व्यय - कौशल विकास का सूत्रपात" - 4579.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4414.82 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण अनुदान - शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण - अन्य स्कीमें" - 7119.41 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7118.19 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रशिक्षण - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं के सुधार और उनको बेहतर बनाए जाने संबंधी बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना" - 99.00 लाख रु.।

(A) Major Head "2230" –

(a) "Labour" –

(i) "Social Security for Labour - Employee's Pension Scheme, 1995" – Rs.6588.00 lakhs.

(ii) "Labour Education – Grants to Central Board for Worker's Education" – Rs.450.00 lakhs.

(b) "Training – Other Expenditure – Skill Development Initiative" – Rs.4579.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4414.82 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training Grants – Training of Craftsmen and Supervisors – Other Schemes" – Rs.7119.41 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7118.19 lakhs.

(C) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Training – Industrial Training Institute – Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments" – Rs.99.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2230'' - ''श्रम'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा - असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम'' - 9764.75 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की निधीयन पद्धति में परिवर्तन होने के कारण हुआ।

(खा) ''बाल/महिला श्रमिकों की कार्य की स्थिति में सुधार - बाल श्रमिक कक्ष'' - 175.83 लाख रु. का अधिक व्यय (15606.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और इंडस परियोजना के अंतर्गत देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(गा) ''आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण'' -

(क) ''लौह, मैंगनीज क्रोम अयस्क निधि को अंतरण'' - 350.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''चूना पत्थर और डोलोमाइट खान निधि को अंतरण'' - 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उपकर के अधिक संग्रहण के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2230" – "Labour" – under the following heads:-

(A) "Social Security for Labour - Social Security for Unorganised sector workers Scheme" – excess of Rs.9764.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to change in the funding pattern of scheme.

(B) "Improvement in Working Condition of Child/Women Labour – Child Labour Cell" – excess of Rs.175.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15606.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and clearance of the liabilities under INDUS Project.

(C) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts" –

(a) "Transfer to Iron, Manganese Chrome Ore Fund" – excess of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2150.00 lakhs); and

(b) "Transfer to Limestone and Dolomite Mines Fund" – excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to more collection of cess.

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''6250'' अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "6250" Loans for Other Social Services				
मू.	O.	10750.00			
पू.	S.	62250.00	74999.00	74999.00	. .
पु.	R.	1999.00			
मुख्य शीर्ष ''6552'' अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	1499.00			
पू.	S.	500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1999.00			

(I) 2006.70 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1999.00 लाख रु. (फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 500.00 लाख रु. के पुरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष ''6552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कर्ज - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.2006.70 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.1999.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.500.00 lakhs obtained in February, 2009) alone accounted for under Major Head "6552" – "Loans for North Eastern Areas – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs - Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.s through Public Private Partnership" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.48 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of Rs.59.48 lakhs occurred constituting 45 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''6250'' - ''अन्य - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संस्थान प्रबंधन समिति को कर्ज - 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उन्नयन'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं- 1999.00 लाख रु.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6250" – "Others – Loans to Institute Management Committee (IMC) of the ITIs - Upgradation of 1396 Govt. I.T.I.s through Public Private Partnership" – excess of Rs.1999.00 lakhs (against the total sanctioned

का अधिक व्यय (अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 62250.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 73000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ब्याज मुक्त कर्जे जारी किए जाने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. *अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण का संवर्धन करने के उपायों के वित्तपोषण के लिए गठित की गई थी। अभ्रक के निर्यात के लिए लगाए गए सीमा शुल्क को संग्रहण प्रभारों को घटाने के बाद निधि में जमा किया जाता है।

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

provision of Rs.73000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.62250.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and additional requirement of funds for releasing interest free loans to 300 ITIs.

6. *Mica Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was constituted for financing measures for promotion of Welfare of Labour employed in Mica Mines. Custom duties levied on export of Mica are credited to the Fund after deducting collection charges.

The Account of the Fund for 2008 – 2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	5,98,34
प्राप्तियां	Receipts	1,01,92
अदायगियां	Payments	1,86,31
अंतशेष	Closing Balance	5,13,95

7. *लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि मूल रूप से लौह अयस्क खान श्रमिक और कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकारों और खान प्रबंधकों की सहायता करने के लिए लौह अयस्क खनिजकों की जीवन-यापन स्थितियों को सुधारने के लिए गठित की गई थी। इस अधिनियम को लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 जो 1 सितम्बर, 1978 से प्रवृत्त है, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण संगठन इस निधि में से श्रमिकों और उनके आश्रितों को सुविधाएं प्रदान करता है। इस निधि का वित्तपोषण उपकर लगाकर किया जाता है।

7. *Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was originally constituted under the Iron Ore Mines Labour and Welfare Cess Act, 1961 to help the State Governments and the Mines Management to improve the living conditions of the Iron Ore Miners. This Act has been replaced by Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 which came into force with effect from 1st September, 1978. The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Organisation provides for Welfare amenities out of this fund to the workers and their dependents. This Fund is financed by the levy of cess.

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2008 – 2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	151,68,05
प्राप्तियां	Receipts	25,51,15
अदायगियां	Payments	10,92,34
अंतशेष	Closing Balance	166,26,86

8. *बीड़ी कामगार कल्याण निधि:-*

यह निधि बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ी विनिर्माण में लगे व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए गठित की गई थी। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन बीड़ियों के विनिर्माण के संबंध में किसी भी प्रयोजन के लिए भांडागारों से किसी व्यक्ति को दिए गए तम्बाकू पर उपकर लगाकर निधि को वित्त पोषित किया जाता था। इस उपकर को वित्त अधिनियम, 1979 के अधीन मार्च, 1979 से हटा दिया गया था परन्तु बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत इसे 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगा दिया गया है।

8. *Beedi Workers Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from I st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2008 – 2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	–24,56,44
प्राप्तियां	Receipts	202,41,94
अदायगियां	Payments	231,36,98
अंतशेष	Closing Balance	–53,51,48

9. *चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि:-*

यह निधि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें बेचे गए या किसी कारखाने के दखलकार को अन्य रूप से दिए गए किसी

9. *Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 and rules framed thereunder, which provides for levy and collection of Cess

खान में उत्पादित चूना पत्थर और डोलोमाइट पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था है जो कि खान मालिक द्वारा स्वयं अपनी फैक्टरी में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। संग्रहित उपकर को चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण का संवर्धन करने संबंधी क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

on Limestone and Dolomite produced in any mines, is sold or otherwise disposed off, to the occupier of any factory or used by mine owner himself in his own factory for any purpose. The cess collected is utilised for financing of activities to promote the welfare of persons employed in Limestone and Dolomite Mines.

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2008 – 2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	67,95,81
प्राप्तियां	Receipts	24,59,57
अदायगियां	Payments	10,11,71
अंतशेष	Closing Balance	82,43,67

10. *सिनेमा कामगार कल्याण निधिः-*

10. *Cine Workers Welfare Fund:-*

यह निधि सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गठित की गई थी, जिसमें उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। संग्रहित उपकर का उपयोग सिनेमा कामगारों के कल्याणकारी उपायों के लिए किया जाता है।

The Fund was constituted under the Cine Workers Welfare Fund Act, 1981 and rules framed thereunder, which provides for levying and collection of Cess. Cess collected is utilised for the welfare measures of Cine Workers.

वर्ष 2008-2009 के लिए निधि का खाता निम्न प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2008 – 2009 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2,08,97
प्राप्तियां	Receipts	2,43,45
अदायगियां	Payments	1,24,46
अंतशेष	Closing Balance	3,27,96